### भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

### लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 639 4 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों को कैशलेस सुविधाएं

639. श्री के. षणमुग सुंदरम: श्री वेलुसामी पी.:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत सूचीबद्ध कई निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के लाभार्थियों को कैशलेस सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी और सरकारी दोनों श्रेणी के अस्पतालों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निजी क्षेत्र के अस्पतालों द्वारा भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना की कैशलेस सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है; और
- (घ) सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्बाध कैशलेस सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों (एचसीओ) द्वारा पात्र सीजीएचएस लाभार्थियों को नकद रिहत सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित होता है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि कुछ अस्पताल नकद रिहत सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं। जब कभी भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाती है। एएमआरआई अस्पताल, भुवनेश्वर, मैसर्स चारनाक अस्पताल प्रा. लिमिटेड, कोलकाता, रिवन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय हृदयविज्ञान संस्थान कोलकाता और उत्कल अस्पताल, भुवनेश्वर, फोर्टिस स्वास्थ्य हैल्थकेयर लि., शालीमार बाग, नई दिल्ली और अमर आई सेंटर, नवीन शाहदरा दिल्ली ने सीजीएचएस से बाहर होने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया है।

सीजीएचएस के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 1200 करोड़ रू. (लगभग) की लागत के एचसीओ बिलों का भुगतान किया गया है तथा 1100 करोड़ रू. (लगभग) की राशि के बिल भुगतान के लिए प्राप्त किए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के संबंध में, रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 174 स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों (एचसीओ) ने ईसीएचएस लाभार्थियों को नकद रहित सेवाएं देना बंद कर दिया है।

सीजीएचएस के तहत, लाभार्थियों के लिए अबाधित नकद रहित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- अस्पताल के बिलों के भुगतान के लिए संबंधित शीर्ष लेखा के तहत सीजीएचएस को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं।
- ii. अस्पताल बिल भुगतान के लिए नियमित रूप से संसाधित किए जाते हैं तथा वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निजी अस्पतालों को 1200 करोड़ रू. (लगभग) की राशि का भुगतान किया गया है।
- iii. अस्पताल के दावों का शीघ्र भुगतान करने के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति को लगाया गया है।
- iv. जून, 2021 में, सीजीएचएस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आईटी प्लेटफार्म पर कागज रहित मोड में बिलों का भुगतान शुरू कर दिया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा यथासूचित, ईसीएचएस के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में बिलों के समय पर भुगतान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- i. पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- ii. बिलों का कुशल प्रसंस्करण और समय पर भुगतान करने के लिए निरंतर निगरानी के लिए आईटी समाधान का उपयोग।
- iii. जिन्होंने सेवाएं देने से मना किया है, उनके विकल्प के तौर पर अतिरिक्त एचसीओ को पैनलबद्ध करना।

\*\*\*\*

### GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

# LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO: 639 TO BE ANSWERED ON 04<sup>TH</sup> FEBRUARY, 2022

### "CASHLESS FACILITIES TO CGHS BENEFICIARIES"

### 639 SHRI SHANMUGA SUNDARAM K.: SHRI VELUSAMY P.:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:-

- (a) whether the Government is aware of the fact that several private hospitals empanelled under the Central Government Health Scheme (CGHS) decided to suspend cashless services to the beneficiaries of the healthcareprogramme;
- (b) if so, the details thereof and the pending amount to be paid to the hospitals both private and Governmentcategory;
- (c) whether the cashless services to Ex-Servicemen Contributory Health Scheme is also suspended by thehospitals in private sector; and
- (d) the steps taken by the Government to ensureun-interrupted cashless services to the beneficiaries?

#### **ANSWER**

# THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (d):Under the Central Government Health Scheme(CGHS), empaneled Health Care Organizations (HCOs) are required to provide cashless facilities to the eligible CGHS beneficiaries. However, there have been reports that some hospitals are not providing cashless facilities. Suitable action is taken against them whenever such cases come to notice. AMRI Hospital, Bhubneshwar, M/s Charnock Hospitals Pvt. Ltd., Kolkata, Rabindranth Tagore International Institute of Cardiac Sciences, Kolkata and Utkal Hospital, Bhubaneshwar, Fortis Healthcare Limited, Shalimar Bagh, New Delhi and Amar Eye Centre, Naveen Shahdara Delhi have submitted notice to opt out of CGHS.

Under CGHS, during the current Financial Year, HCOs' bills worth Rs. 1200 crore (approx.) have been paid and bills amounting to Rs. 1100 crore (approx.) are received for payment.

Regarding Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), as per the information provided by the Ministry of Defence, 174 Health Care Organizations (HCOs) have stopped giving cashless services to ECHS beneficiaries.

Under CGHS, following steps have been taken to ensure uninterrupted cashless services to the beneficiaries:-

- (i) Adequate funds are provided to CGHS under the relevant Head of Account for clearance of hospital bills.
- (ii) Hospital Bills are regularly processed for settlement and an amount of Rs. 1200 crore (approx.) has already been paid to private hospitals during current Financial Year 2021-22.
- (iii) Additional manpower has been mobilised to expedite settlement of hospital claims.
- (iv) In June 2021, CGHS has shifted to settlement of bills in paperless mode on the IT Platform of National Health Authority which is an attached Office of Ministry of Health & Family Welfare.

As informed by Ministry of Defence, following steps have been taken for timely payment of bills to the hospitals empanelled under ECHS: -

- (i) Provision of adequate budgetary support has been made.
- (ii) Usages of IT solution for continuous monitoring for efficient processing of bills and timely payment.
- (iii) Empanelment of additional HCOs as an alternative to those who have refused services.

\*\*\*\*\*